

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

फर्रुखाबाद।

राजस्व अनुभाग-10 .

लखनऊ: दिनांक: 14 अगस्त, 2025

विषय:- सिविल मिस रिट याचिका संख्या-21164/2022 श्रीमती सरिता सिंह बनाम उ०प्र० राज्य सरकार व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2023 के अनुपालन में स्व० रनवीर सिंह चौहान, संविदा परिचालक के आश्रितों को रु० 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3133/सी०आर०ए०/कोविड-19/2025-26 दिनांक 05 अगस्त, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव कार्य में कार्यरत स्व० रनवीर सिंह चौहान, संविदा परिचालक, परिवहन विभाग, जनपद-फर्रुखाबाद के आश्रितों को रु० 50.00 लाख की अहेतुक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-21164/2022 श्रीमती सरिता सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2023 को आदेश पारित किया गया है, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत है:-

"We are of the considered opinion that the benefit is to be extended to the petitioner also, whose husband has performed his duties in front line for curbing the pandemic surge. Therefore, the order impugned dated 31.03.2022 cannot sustain and the same is set aside. The writ petition is allowed. The opposite parties are directed to release the ex-gratia payment to the dependents entitled thereto within a period of one month, failing which the claims so allowed shall be made good inclusive of simple interest @ 9% p.m. from the date of judgement upto the date of actual payment."

3- प्रश्नगत प्रकरण में मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2023 का अनुपालन न होने के दृष्टिगत उक्त मामले में याची श्रीमती सरिता सिंह द्वारा मा० उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका संख्या-3562/2024 श्रीमती सरिता सिंह बनाम डा० विजय कुमार सिंह, जिला मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद एवं अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र०शासन योजित की गयी है, जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2025 निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं:-

"Issue notice to newly impleaded opposite party returnable within four weeks. Steps be taken within a week."

4- मा० उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 18.12.2023 के विरुद्ध मा० उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) डायरी संख्या-46731/2024 उ०प्र० राज्य व अन्य बनाम सरिता सिंह मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 08.11.2024 से खारिज हो गयी है एवं मा०

उच्च न्यायालय में दाखिल रिव्यू एप्लीकेशन संख्या-68/2025 उ०प्र० राज्य व अन्य बनाम श्रीमती सरिता सिंह भी मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.03.2025 एवं दिनांक 20.03.2025 द्वारा खारिज हो गयी है। उक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मा० उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

6- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 18.12.2023 के अनुपालन में स्व० रनवीर सिंह चौहान, संविदा परिचालक, परिवहन विभाग, जनपद-फर्रुखाबाद की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु की दशा में मृतक कार्मिक के आश्रितों को रु० 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि प्रदान किये जाने के लिए शासनादेश संख्या-249/एक-11-2020-04(जी)/2015-टी०सी०, दिनांक 11.04.2020, शासनादेश संख्या-411/एक-11-2021-04(जी)/2015-टी०सी०, दिनांक 22.06.2021 एवं शासनादेश संख्या-1394/एक-10-2021-33(08)/2021, दिनांक 26.07.2021 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में वित्तीय वर्ष-2025-26 में रु० 50,00,000/- (रुपये पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद के निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-249/एक-11-2020-04(जी)/2015 टी.सी. दिनांक 11.04.2020, शासनादेश संख्या-411/एक-11-2021-4(जी)/2015 टी०सी० दिनांक 22 जून, 2021 एवं राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-1394/एक-10-2021-33(08)/2021, दिनांक 26.07.2021 में निहित प्राविधानों/शर्तों के आलोक में जिलाधिकारी प्रत्येक प्रकरण का स्वयं सम्यक परीक्षण कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिक की इयूटी कोविड-19 की रोकथाम, बचाव अथवा उपचार में लगायी गयी थी एवं कोविड के संक्रमण से ही उसकी मृत्यु हुयी है। जिलाधिकारी पूर्ण संतुष्ट होने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिक के आश्रितों को अहेतुक सहायता धनराशि की स्वीकृति करेंगे।
- (3) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी, अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने की शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता हैं) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (4) उक्त स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (5) स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2026 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

7- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹0 50,00,000/- (रूपये पचास लाख मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या-865(1)/एक-10-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
- 3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 4- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई- बजट), राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन।
- 7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 8- सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा/से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-14/08/2025

प्रेषण संख्या:- 865

आवंटन आदेश संख्या:- 001-865

अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)

05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

800 - अन्य व्यय

06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय

09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	फर्रुखाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 27500000	5000000 27500000
	योग	वर्तमान प्रगामी	5000000 27500000	5000000 27500000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचास लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ पचहत्तर लाख


(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।